न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2019 **दायर दिनांकः 29.01.2019**

उनवान

1. समस्त ग्रामवासीयान अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. हरि प्रसाद मित्तल तिरूपति प्लाजा अटरू।
2. दिलीप चोरसिया श्रीराम रिसोर्ट खेडलीगंज।
3. रामनरेश सुमन सियाराम मेरिज गार्डन अटरू।
4. हेमन्त कुमार शर्मा राधिका प्लाजा अटरू।
5. शिवजी सुमन मेरिज गार्डन खेडलीगंज।
6. रामराज वैष्णव मनोरमा मेरिज गार्डन खेडलीगंज।
7. पप्पू सुमन हरियाली मेरिज गार्डन अटरू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 CRPC

निर्णय दिनांक 04.04.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि समस्त ग्रामवासी/प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 133 सी0 आर0 पी0 सी0 का इस आशय का पेश किया है कि मैरिज हॉल से गीले कचरे को उचित तरीके से डिस्पोज करने के बजाय इसे नगर में ही फेका जा रहा है। यह कचरा खेल मैदान के पास तालाबों में, रेल्वे लाईन व फाटक के पास, मैन हाई वे, नागादेव मोहल्ला आदि कई स्थानों पर डाला जा रहा है। जैसे कि सर्व विदित है कि इस प्रकार के कचरे में कागज, पॉलीथीन तथा इनसे निर्मित पदार्थ शामिल होते है। ऐसे कचरे, को गौ माता सहित अन्य मवेशी भी खा रहे है। ये पॉलीथीन कागज गौ माता व अन्य मवेशियों को पचते नही है। इस कारण स्थानीय नगर में पिछले 3 महिने मे कई गौ मातायें दम तोड चुकी है। आपसे निवेदन है कि मैरिज हॉल के कचरे को खुले में फैंकने से पाबन्द करवाया जाए। आपका उचित फैसला सैकडों जीवों की जिन्दगी तो बचाएगा ही साथ ही नगर को भी प्रदूषण मुक्त करेगा।

कृपया शीघ्रअतिर्शीघ्र उपरोक्त विषय पर एक सप्ताह के भीतर उचित कार्यवाही की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 3 व 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया अप्रार्थी कम 1, 2 4, 5, 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि

मेरिज हॉल के कचरे को मेरिज हॉल में ही ड्रम में डिस्पोजल, पत्तल, व अन्य कचरा इकठ्ठा करते है। तथा स्वयं के साधन से उसे बाहर कई एकान्त में फैक देते है। हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गंदगी नही की जा रही है, अतः हमारे विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये जवाब से हम संतुष्ट नही है।

अतः अप्रार्थीगणों को पाबन्द किया जाता है कि मेरिज गार्डन में सूखे कचरे व गीले कचरे के अलग–अलग कचरा पात्र लगाये जावें तथा उन पर सूखा कचरा व गीला कचरा लिखा जावें तथा उक्त कचरे को अन्य एकान्त स्थान पर ले जाकर उसे जलाया जावें ताकि मवेशी उस कचरे को न खा सकें। नाली की समय–समय पर सफाई करवाई जावें तथा पार्किंग की व्यवस्था रोड पर नही की जाकर अन्य स्थान पर की जावें। अप्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां